सामाजिक स्तरण के सिद्धांत का प्रकार्यवादी विचारधारा (Theories of Social Stratification)

इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक या प्रवर्तक किंग्सले डेविस तथा विलबर्ट मूर है। इस सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि सामाजिक स्तरण समाज की जरूरतों की उपज है न कि व्यक्तियों की जरूरतों की है। सामाजिक स्तरण की यह विचारधारा तीन मान्यताओं पर आधारित है —

(i) विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ स्तरण नहीं है। विभिन्न मानवशास्त्रियों के अध्ययनों से यह स्पष्ट पता चलता है कि प्रत्येक समाज में किसी-न-किसी तरह का स्तरण अवश्य पाया जाता है।

(ii) प्रत्येक समाज में लगभग समान प्रकार से विभिन्न स्तरों के बीच प्रतिष्ठा का बंटवारा है। जैसे-जैसे सामाजिक स्थिति या श्रेणी में गिरावट आती है, वैसे-वैसे प्रतिष्ठा में भी गिरावट होती है। किसी भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से प्रतिष्ठित नहीं होता है। जो लोग समाज के सबसे ऊँचे पदों पर आसीन है उन्हें समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा राज्यपाल को समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है।

(iii) इस सिद्धान्त की तीसरी मान्यता यह है कि विभिन्न समाजों के बीच सामाजिक स्तरण के स्वरूप में विभिन्नताएं हैं। उदाहरणस्वरूप — सरल

समाजों मे स्तरण का आधार साधारणतया उम्र एवं लिंग हुआ करता है, जबकि जटिल समाजों के अन्तर्गत स्तरण का आधार भी काफी जटिल हुआ करता है, जैसे - शिक्षा, व्यक्तिक गुण, राजनीतिक हैसियत, सम्पत्ति इत्यादि।

स्तर के प्रकार्यवादी सिद्धान्त को संक्षेप मे इस प्रकार रखा जा सकता है।

(1) समाज में कुछ पद कलात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते है और उसके लिए व्यक्तियों से कुछ विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है।

(2) समाज में प्रत्येक व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह सभी कार्यों को ठीक से कर सके।

(3) समाज में कुछ ही लोग ऐसे होते है, जो अध्ययन या विशेष परिशिक्षण प्राप्त कर उच्च पदों पर कार्य कर सकते हैं।

(4) समाज के मेधावी लोग ऐसे काम को तभी अच्छे ढंग से करते है, जब उन्हें कुछ विशेष पारितोषिक दिया जाये, जैसे- उच्च तनख्वाह।

(5) प्रत्येक समाज में असमान पारितोषिक व्यवस्था का होना नितान्त आवश्यक है, तभी विभिन्न पदों को ठीक ढंग से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।